IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग,
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ–226001

भारतीय मानक ब्यूरो IS
मानक: पथप्रदर्शक: Bureau of Indian Standards SQMS

पत्र संख्याः 1430/सं0प्र0–3/97–2000(भाग–2) दिनांकः04/11/2016

कार्यालय आदेश

परिषद की लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, आगरा एवं मुरादाबाद स्थित योजनाओं में फ्लैटों का पंजीकरण पिछले 02 वर्षों से कई चरणों में खोला गया, परन्तु अब भी लगभग 50 प्रतिशत फ्लैटों के पंजीकरण अवशेष है। इनमें से अधिकतर फ्लैटों के पात्रता/नम्बरिंग ड्रा किये जा चुके हैं तथा कार्य स्थल पर विकास/निर्माण कार्य विभिन्न स्तरों पर किये जा रहे है। मुख्य रूप से वृन्दावन योजना के अरावली एन्क्लेव, कैलाश एन्क्लेव, हिमालय एन्क्लेव, गोवर्धन एन्क्लेव, एवरेस्ट एन्क्लेव तथा अवध विहार योजना में मंदाकिनी, भागीरथी अलक नन्दा, नंदिनी, गंगोत्री 1BHK (G+3), दुर्बल आय वर्ग सेक्टर–7ए गोमती एन्क्लेव, सरयू एन्क्लेव एवं आम्रपाली योजना में आम्रपाली एन्क्लेव तथा मेरठ भागीरथी एन्क्लेव कानपुर ब्रम्हावर्त अपार्टमेन्ट(G+3) एवं गंगा एक्लेव, आगरा ग्रीन एन्क्लेव, मुरादाबाद(S+3) तथा गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में गंगा, यमुना हिन्डेन आदि एवं मण्डोला विहार में आसरा टाइप–1 व टाइप–2, सपना टाइप–1 व टाइप–2, गुलमोहर एवं प्रीमियम फ्लैट। इन अवशेष रिक्त फ्लैटों का पंजीकरण किया जाना आवश्यक है। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की आवासीय सम्पत्ति के निस्तारण सम्बन्धी विनियम 1980(संशेधित 1993, पुनः संशोधित मार्च 2016) के विनियम–15(11) में इस तथ्य का प्रावधान है कि अधिक मात्रा में फ्लैटों के पंजीकरण अवशेष रहने की स्थिति में जब तक सभी फ्लैटों का पंजीकरण समाप्त न हो जाय तब तक पंजीकरण खुला रहेगा। इस हेतु सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रभारी द्वारा आवास आयुक्त, का अनुमोदन प्राप्त कर सिंगल विन्डों बनाकर रिक्त फ्लैटों का पंजीकरण कर सकते हैं। इसी तरह विनियम–(61) में इन विनियमों में किसी भी धारा–उपधारा के रहते हुए आवास आयुक्त आवंटन एवं भुगतान की पद्धति में सामयिक परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तन कर सकेंगे।

अतः लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, मुरादाबाद एवं आगरा में स्थित अवशेष सभी तरह के रिक्त फ्लैटों के पंजीकरण के कार्य हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, जो इन फ्लैटों के निर्माण/विकास कार्य कर रहे है को अधिकृत किया जाता है कि वह आवेदकों से उनके इच्छित फ्लैटों के फ्लैट नम्बर के आवश्यक धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करते हुए पंजीकरण करेंगे। सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता आवेदकों के पंजीकरण करते हुए इसकी सूचना अपने अधीक्षण अभियन्ता व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय को मैसेज बोर्ड के माध्यम से सूचित करेंगे तथा मोबाइल से उसकी सूचना प्रभारी सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय को भी देंगे। आवेदकों के (आवदेन पत्र/बैंक ड्राफ्ट)सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय को तत्काल प्रेषित करेंगे। तद्नुसार सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय फ्लैट के आवंटन मांग पत्र जारी करने का कार्य करेंगे।

उक्त पंजीकरण कार्य का साप्ताहिक पर्यवेक्षण सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता करते हुए सूचना अपर आवास आयुक्त, सम्पत्ति/पंजीकरण को मैसेज बोर्ड के माध्यम से Property Section पर अपलोड करेंगे।

फ्लैटों के आवंटन/मांग पत्र जारी करते हुए सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, अपने जोन को सूचित करते हुए एक प्रति निम्न प्रारूप पर अपर आवास आयुक्त, सम्पत्ति/पंजीकरण को Property Section के मैसेज बोर्ड पर उपलब्ध करायेंगे।

क्र0 सं0	एन्क्लेव का नाम	फ्लैटका प्रकार 1BHK, 2BHK, 3BHK व अन्य	फ्लैट संख्या	पंजीकरण प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने की स्थिति	आवंटन/मांग पत्र जारी होने की तिथि	अवशेष फ्लैटों की संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

ह0

(रुद्र प्रताप सिंह)
सचिव/आवास आयुक्त

पृ0सं0 1430 /उक्त तददिनांक 04/11/2016

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. वित्त नियंत्रक/मुख्य अभियन्ता/मुख्य वास्तुविद नियोजक/मुख्य विधि परामर्शी, मुख्यालय।
2. अपर/संयुक्त/उप आवास आयुक्त, जोन, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आगरा/लखनऊ/मेरठ/ कानपुर/वाराणसी/बरेली।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता............................./समस्त अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण खण्ड.................
4. उप आवास आयुक्त/सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद................................
5. समस्त वास्तुविद नियोजक इकाई-.........उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/लखनऊ/ मुरादाबाद/ गाजियाबाद।
6. उप आवास आयुक्त/वसुन्धरा गाजियाबाद/वृन्दावन/अवध विहार एवं सम्पत्ति प्रबन्धक मण्डोला विहार, गाजियाबाद/कानपुर योजना संख्या- /सिकन्दरा योजना आगरा/मेरठ/ मुरादाबाद एवं आम्रपाली योजना, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपनी योजना से सम्बन्धित रिक्त फ्लैटों की सूचना तत्काल सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध कराने हेतुफ
7. इंचार्ज कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय को उक्त कार्यालय आदेश परिषद के समस्त मैसेज बोर्डों पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी सचिव, सचिव/आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय, को आयुक्त, महोदय के अवलोकनार्थ।

अपर आवास आयुक्त(स0प्र0)